न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 133/2019(2019/00213)

अनवान : –

1. राहुल पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. शिशपाल पुत्र छन्नो पुत्री धापा पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. सुनिता पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. मंजू पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मदनलाल कड़वासरा वादी
श्री कृष्ण भारी प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 01/12/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 एएमएस के खाता संख्या 100/98 के मु0न0 87 के किला न0 7 ता 13, 14/1, 15/1, 19/2, 20 मुरब्बा नम्बर 88 के किला नम्बर 6, 7, 14 ता 18, कुल किता 18 की कुल 4.010 हैक्टेयर व चक 2 सीएचएन के खाता संख्या 100/90 के मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 15 ता 18, 25 मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 11, 12/1, 13, 19 ता 23 कुल किता 13 की कुल 2.478 हैक्टेयर व चक 2 जेएसएल के खाता संख्या 105/102 के मुरब्बा न0 50 के किला न0 1, 2, 3/1, 8/1, 9 ता 12, 13/1, 18/1, 19, 20 मुरब्बा नम्बर 51 के किला न0 5, 6, 15, 16 कुल किता 16 की कुल 3.542 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 शिशपाल के नाम 2/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादी छन्नो की खातेदारी हुआ करती थी। छन्नो से वादभूमि जो [illegible] खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी शिशपाल ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैतृक भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी शिशपाल के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2023.01.10 16:43:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 शिशपाल को वादी की दादी छन्नो से विरासतन प्राप्त हुई है, जो चक 2 जेएसएल जमबान्दी सम्वत 2029–38 खाता संख्या 24, चक 2 सीएचएन जमाबन्दी सम्वत 2029–38 खाता संख्या 20, चक 3 एएमएस जमाबन्दी सम्वत 2029–38 खाता संख्या 28 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि पर केसीसी ऋण एवं अन्य सरकारी योजनाओं इत्यादि का लाभ लेना चाहते है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज रोही मौजा चक 3 एएमएस के खाता संख्या 100/98 के मु0न0 87 के किला न0 7 ता 13, 14/1, 15/1, 19/2, 20 मुरब्बा नम्बर 88 के किला नम्बर 6, 7, 14 ता 18, कुल किता 18 की कुल 4.010 हैक्टेयर व चक 2 सीएचएन के खाता संख्या 100/90 के मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 15 ता 18, 25 मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 11, 12/1, 13, 19 ता 23 कुल किता 13 की कुल 2.478 हैक्टेयर व चक 2 जेएसएल के खाता संख्या 105/102 के मुरब्बा न0 50 के किला न0 1, 2, 3/1, 8/1, 9 ता 12, 13/1, 18/1, 19, 20 मुरब्बा नम्बर 51 के किला न0 5, 6, 15, 16 कुल किता 16 की कुल 3.542 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 शिशपाल के नाम 2/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 शिशपाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी राहुल पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी झांसल के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 3 एएमएस सम्वत 2072–75 प्रदर्श 1, नामान्तरकरण रजिस्टर चक 2 सीएचएन क्रम संख्या 445 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 2 सीएचएन सम्वत 2074–77 प्रदर्श 3, नामान्तरकरण रजिस्टर चक 2 जेएसएल क्रम संख्या 546 प्रदर्श 4, जमाबन्दी चक 2 जेएसएल सम्वत 2072–2075 प्रदर्श 5, खतोनी जमाबन्दी चक 2 जेएसएल सम्वत् 2029–2038 प्रदर्श 6, खतोनी जमाबन्दी 2 सीएचएन सम्वत् 2029–2038 प्रदर्श 7, खतोनी जमाबन्दी चक 3 एएमएस सम्वत 2029–38 प्रदर्श 8, चक 2 सीएचएन सम्वत 2037 प्रदर्श 9, चक 2 जेएसएल [illegible] 035 प्रदर्श 10, चक 3 एएमएस सम्वत 2039 प्रदर्श 11, सरपंच [illegible] सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 12 प्रदर्शित करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:43:52 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नादरा (जिला–हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 3 एएमएस के खाता संख्या 100/98 के मु0न0 87 के किला न0 7 ता 13, 14/1, 15/1, 19/2, 20 मुरब्बा नम्बर 88 के किला नम्बर 6, 7, 14 ता 18, कुल किता 18 की कुल 4.010 हैक्टेयर व चक 2 सीएचएन के खाता संख्या 100/90 के मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 15 ता 18, 25 मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 11, 12/1, 13, 19 ता 23 कुल किता 13 की कुल 2.478 हैक्टेयर व चक 2 जेएसएल के खाता संख्या 105/102 के मुरब्बा न0 50 के किला न0 1, 2, 3/1, 8/1, 9 ता 12, 13/1, 18/1, 19, 20 मुरब्बा नम्बर 51 के किला न0 5, 6, 15, 16 कुल किता 16 की कुल 3.542 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 शिशपाल के नाम 2/7 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 एएमएस के खाता संख्या 100/98 के मु0न0 87 के किला न0 7 ता 13, 14/1, 15/1, 19/2, 20 मुरब्बा नम्बर 88 के किला नम्बर 6, 7, 14 ता 18, कुल किता 18 की कुल 4.010 हैक्टेयर व चक 2 सीएचएन के खाता संख्या 100/90 के मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 15 ता 18, 25 मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 11, 12/1, 13, 19 ता 23 कुल किता 13 की कुल 2.478 हैक्टेयर व चक 2 जेएसएल के खाता संख्या 105/102 के मुरब्बा न0 50 के किला न0 1, 2, 3/1, 8/1, 9 ता 12, 13/1, 18/1, 19, 20 मुरब्बा नम्बर 51 के किला न0 5, 6, 15, 16 कुल किता 16 की कुल 3.542 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 शिशपाल के नाम 2/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी राहुल व प्रतिवादी संख्या 1 शिशपाल, प्रतिवादी संख्या 2 सुनिता व प्रतिवादी संख्या 3 मंजू को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/12/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:43:52 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़